

C.NO. 141/2015 उमवान दौड़लाल प/स नगीचउ

10/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपण्ड उपकील/अपुत्रीगों की तलबी पूर्ण हो चुकी है। अपुत्री 01 से 04 तक की भौतिक अधिवक्ता उप. है। अपुत्री 05 की भौतिक कोई भी उप. नहीं है, अपुत्री 05 के विकसित एकपत्रीय कार्रवाही की जाती है। वकील उमयपण्ड के निवेदन पर प्राप्यक द्वारा 212 RTI पर उद्देश्य पुना गया। वकील अपुत्री ने निवेदन किया कि उमयपण्ड को यदि मॉडल व रिपोर्ट में यशालिती के लिए पावन्ड किया जावे तो उद्देश्य कोई आपत्ति नहीं है। हमारे द्वारा वकील उमयपण्ड को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। खर्च पर मनन किया गया अतः वकील उमयपण्ड की सहमति के आधार पर पुत्रीगणक अपुत्री 01 से 07 को वाइकलीकरण ग्राह्य रखावता स्थित खतरा नं. 1032/2, 791, 815, 817/1 817/3 व 950 कुल किला 06 कुल रकबा 5.12/0 हेक्टर में एक हमारे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तदनुसार रिपोर्ट की यशालिती बनाये रखें। इन आशय की अपुत्री निवेदना से मूल वाद के अस्तित्व सिद्ध तक पावन्ड किया जाता है। पत्रावली जिला सुधार हेतु नम्यने कर है।

उपखण्ड अधिकारी
किसानगढ़